संख्या:-57/2024/आई558351/001-295-23-5002-002-39-2024-05(भवन)/2024

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 09 मई, 2024**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-55(राजस्वलेखा एवं पूंजीलेखा) के अन्तर्गत अनुरक्षण एवं वचनबद्ध व्ययों हेतु प्राविधानित बजट की धनराशि को प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-01बीजीबीजी/114बीजीबी/निवर्तन/2024-25, दिनांक 08.04.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-55 (राजस्वलेखा एवं पूंजीलेखा) के अन्तर्गत अनुरक्षण एवं वचनबद्ध व्ययों हेतु प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष रू0 11107.00 लाख (रू0 एक अरब ग्यारह करोड़ सात लाख मात्र) की धनराशि प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा मद के लेखाशीर्षक 2059(अनावासीय) व 2216 (आवासीय) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 17297.00 लाख एवं पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4216-01-700-05-0538-25 (राजभवन लखनऊ के लघु निर्माण कार्य) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 98.00 लाख अर्थात उक्त मदों में प्राविधानित कुल बजट व्यवस्था रू0 17395.00 लाख के सापेक्ष रू0 11107.00 लाख (रू0 एक अरब ग्यारह करोड़ सात लाख मात्र) की धनराशि को प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका से सम्बन्धित नियमों, स्थायी आदेशों एवं वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1 के शासनादेश सं0-01/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दि0 04.03.2024 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करते हुए केवल स्वीकृत मदों के अन्तर्गत किया जायेगा तथा किसी भी दशा में इसका उपयोग अन्य मदों के अन्तर्गत नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त निवर्तन की धनराशि के व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जाये एवं व्यय की स्थिति से प्रत्येक माह शासन को भी अवगत कराया जाये।

(3) निवर्तन पर निर्गत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

..../02

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) वर्तमान में लोक सभा सामान्य चुनाव-2024 की आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने के दृष्टिगत विभागाध्यक्ष द्वारा क्षेत्रों/खण्डों को धनराशि आवंटित/निर्गत करते समय आदर्श चुनाव आचार संहिता के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय -

लेखाशीर्ष : 2059010530301(राजभवन लखनऊ परिसर - भवन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	55	2059010530301 राजभवन लखनऊ परिसर - भवन	09 विद्युत देय (भारित)	55,00,000 (रूपये पचपन लाख मात्र)
2	55	2059010530301 राजभवन लखनऊ परिसर - भवन	10 जलकर/जल प्रभार (भारित)	50,000 (रूपये पचास हजार मात्र)
3	55	2059010530301 राजभवन लखनऊ परिसर - भवन	17 किराया, उपशुल्क और कर - स्वामित्व (भारित)	50,00,000 (रूपये पचास लाख मात्र)
4	55	2059010530301 राजभवन लखनऊ परिसर - भवन	26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र (भारित)	1,84,00,000 (रूपये एक करोड़ चौरासी लाख मात्र)
5	55	2059010530301 राजभवन लखनऊ परिसर - भवन	29 अनुरक्षण (भारित)	3,10,50,000 (रूपये तीन करोड़ दस लाख पचास हजार मात्र)
कुल				**6,00,00,000 (रूपये छः करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष : 2059608000301(इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के अधिकार में छोटे निर्माण कार्यों के लिये रक्षित धनराशि)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	55	2059608000301 इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के अधिकार में छोटे निर्माण कार्यों के लिये रक्षित धनराशि	29 अनुरक्षण	33,00,000 (रूपये तैंतीस लाख मात्र)
कुल				**33,00,000 (रूपये तैंतीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष : 2059800510301(लोक निर्माण विभाग के अनावासीय भवन हेतु प्रमुख अभियन्ता के अधिकार में लघु तथा छोटे कार्यों के लिये आवर्तक रक्षित धनराशि)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	55	2059800510301 लोक निर्माण विभाग के अनावासीय भवन हेतु प्रमुख अभियन्ता के अधिकार में लघु तथा छोटे कार्यों के लिये आवर्तक रक्षित धनराशि	29 अनुरक्षण	33,00,000 (रूपये तैंतीस लाख मात्र)
कुल				**33,00,000 (रूपये तैंतीस लाख मात्र)**

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्ष : 2059800530600(सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, -सामान्य एवं विशेष मरम्मत)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	55	2059800530600 सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, -सामान्य एवं विशेष मरम्मत	09 विद्युत देय	6,60,00,000 (रूपये छः करोड़ साठ लाख मात्र)
2	55	2059800530600 सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, -सामान्य एवं विशेष मरम्मत	10 जलकर/ जल प्रभार	3,50,00,000 (रूपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र)
3	55	2059800530600 सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, -सामान्य एवं विशेष मरम्मत	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5,00,00,000 (रूपये पांच करोड़ मात्र)
4	55	2059800530600 सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, -सामान्य एवं विशेष मरम्मत	13 टेलीफोन पर व्यय	4,00,000 (रूपये चार लाख मात्र)
5	55	2059800530600 सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, -सामान्य एवं विशेष मरम्मत	17 किराया, उपशुल्क और कर - स्वामित्व	3,30,00,000 (रूपये तीन करोड़ तीस लाख मात्र)
6	55	2059800530600 सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, -सामान्य एवं विशेष मरम्मत	29 अनुरक्षण	25,50,00,000 (रूपये पच्चीस करोड़ पचास लाख मात्र)
कुल				**43,94,00,000 (रूपये तैंतालिस करोड़ चौरानबे लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष : 2059800531900(प्रदेश के सर्किट हाउस एवं निरीक्षण गृहों में स्थापित जनरेटर के संचालन हेतु डीजल की व्यवस्था)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	55	2059800531900 प्रदेश के सर्किट हाउस एवं निरीक्षण गृहों में स्थापित जनरेटर के संचालन हेतु डीजल की व्यवस्था	42 अन्य व्यय	75,00,000 (रूपये पचहत्तर लाख मात्र)
कुल				**75,00,000 (रूपये पचहत्तर लाख मात्र)**

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्ष : 2216017000301(राज्यपाल का पदावास - राजभवन में सुधार सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिये मुख्य अभियन्ता के अधिकार में रक्षित धनराशि)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	55	2216017000301 राज्यपाल का पदावास - राजभवन में सुधार सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिये मुख्य अभियन्ता के अधिकार में रक्षित धनराशि	29 अनुरक्षण (भारित)	11,50,000 (रूपये ग्यारह लाख पचास हजार मात्र)
कुल				**11,50,000 (रूपये ग्यारह लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष : 2216017000302(राजभवन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	55	2216017000302 राजभवन	08 कार्यालय व्यय (भारित)	17,25,000 (रूपये सत्रह लाख पच्चीस हजार मात्र)
2	55	2216017000302 राजभवन	09 विद्युत देय (भारित)	40,25,000 (रूपये चालीस लाख पचीस हजार मात्र)
3	55	2216017000302 राजभवन	10 जलकर/जलप्रभार (भारित)	50,000 (रूपये पचास हजार मात्र)
4	55	2216017000302 राजभवन	29 अनुरक्षण (भारित)	92,00,000 (रूपये बानबे लाख मात्र)
5	55	2216017000302 राजभवन	51 वर्दी व्यय (भारित)	50,000 (रूपये पचास हजार मात्र)
कुल				**1,50,50,000 (रूपये एक करोड़ पचास लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष : 2216017000500(सामान्य एवं विशेष मरम्मत-)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	55	2216017000500 सामान्य एवं विशेष मरम्मत-	09 विद्युत देय	1,10,00,000 (रूपये एक करोड़ दस लाख मात्र)
2	55	2216017000500 सामान्य एवं विशेष मरम्मत-	10 जलकर/जलप्रभार	1,10,00,000 (रूपये एक करोड़ दस लाख मात्र)
3	55	2216017000500 सामान्य एवं विशेष मरम्मत-	17 किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	1,10,00,000 (रूपये एक करोड़ दस लाख मात्र)
4	55	2216017000500 सामान्य एवं विशेष मरम्मत-	29 अनुरक्षण	53,82,00,000 (रूपये तिरपन करोड़ बयासी लाख मात्र)
कुल				**57,12,00,000 (रूपये सत्तावन करोड़ बारह लाख मात्र)**

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्ष : 4216017000538(राजभवन, लखनऊ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	55	4216017000538 (राजभवन, लखनऊ)	25 लघु निर्माण कार्य (भारित)	98,00,000 (रूपये अट्ठानबे लाख मात्र)
कुल				**98,00,000 (रूपये अट्ठानबे लाख मात्र)**

महायोग	**1,11,07,00,000 (रू0 एक अरब ग्यारह करोड़ सात लाख मात्र)**

के नाम डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-01/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

संख्या:-57/2024/आई558351/001-295-23-5-2024-05(भवन)/2024तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- विशेष सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0।
4- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(वि0/याँ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 व 2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in